

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022020-216339
CG-DL-E-25022020-216339

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731]
No. 731]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2020/फाल्गुन 2, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2020/PHALGUNA 2, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2020

का.आ. 800(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के

खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, नियोजन भवन कलेक्टर ऑफिस (NH353K) के कि.मी 0 से 16 महाराष्ट्र राज्य के तक के पेन्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH353K पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	डेप्यूटी कलेक्टर, लैंड एक्वीजिशन अमरावती	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH353K के कि.मी. 0 से 16 तक	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती	<table><tr><td>1</td><td>डवरगाव</td></tr><tr><td>2</td><td>माहुली जहागीर</td></tr></table>	1	डवरगाव	2	माहुली जहागीर
					1	डवरगाव				
2	माहुली जहागीर									

[फा. सं. RW/NH-12014/74/2016/MAH-P6]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2020

S.O. 800(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0 to 16 of Niyojan Bhavan Collector Office (NH353K) in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH353K in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Deputy Collector, Land Acquisition, Amaravati	0KM To 16KM	MAHARASHTRA	AMRAVATI	Amravati	<table><tr><td>1</td><td>Dawargaon</td></tr><tr><td>2</td><td>Mahuli Jahagir</td></tr></table>	1	Dawargaon	2	Mahuli Jahagir
1	Dawargaon									
2	Mahuli Jahagir									

[F. No. RW/NH-12014/74/2016/MAH-P6]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.